बिहार सरकार
परिवहन विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक......2228............ पटना, दिनांक-..18/4/2020..........

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पत्रांक- 268/अ0म0स0को0, दिनांक- 16.04.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- No.40-3/2020 DM-I(A), दिनांक- 15.04.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालय के सुचारू संचालन का निदेश दिया गया है।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की कंडिका-19.ii का दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

"All other Departments of State/UT Governments of work with restricted staff, Group 'A' and 'B' officers may attend as required. Group 'C' and levels below that may attend upto 33% of strength, as per requirement to ensure social distancing, However delivery of public services shall be ensured and necessary staff will be deployed for such purpose."

3. उक्त के आलोक में निम्नवत् निर्देश दिये जाते है:-

(i) परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा एवं कोषांग दिनांक 20.04.2020 के प्रभाव से खुले रहेंगे ।

(ii) विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उपर के सभी पदाधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

(iii) सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने-अपने प्रशाखा के 33 प्रतिशत सहायकों/उच्च वर्गीय लिपिकों/निम्न वर्गीय लिपिकों/कम्प्यूटर ऑपरेटरों/कार्यालय परिचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।

(iv) सभी पदाधिकारियों के आप्त सचिव/निजी सहायक/कार्यपालक सहायक भी प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

(v) विभागीय विधि कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी भी प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने अधीनस्थ विधि पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।

(vi) विभागीय आई0टी0 मैनेजर प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने कोषांग में अधीनस्थ कर्मियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

4. कार्यालय अवधि में सभी पदाधिकारी कर्मी भारत सरकार के उपर्युक्त दिशा-निदेश के आलोक में चेहरे पर मास्क लगायेंगे तथा सोशल डिसटेन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थान पर पॉच से अधिक कर्मी एकत्रित नहीं होगे । कार्यालय परिसर में पान, गुटखा एवं तंबाकू आदि का सेवन एवं इधर-उधर थूकना दण्डनीय अपराध समझा जायेगा ।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2228 | पटना, दिनांक 18/5/2020

प्रतिलिपिः- राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/ सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर/सभी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2228 | पटना, दिनांक 18/5/2020

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।